न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 23/2021

अनवान : —

1. गिरदावरी पत्नि रामस्वरूप जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
2. सरजीत पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।

—प्रार्थीगण

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र नानूराम जाति नाई निवासी निनाण त0 भादरा।
2. जगदीश पुत्र नानूराम जाति नाई निवासी निनाण त0 भादरा।
3. औमप्रकाश पुत्र हरलाल जाति नाई निवासी निनाण त0 भादरा।
4. राजस्व अधिकारी जरिये तहसीलदार भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 आरटीएक्ट

उपस्थिति :—श्री श्यामसुन्दर शर्मा प्रार्थीगण
श्री श्रवण सहारण अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 18/7/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 94/98 की कुल 3.74400है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खाला कृषि भूमि में प्रार्थीगण के नाम 30—1/4 हिस्सा व चक 6 जेजीडब्ल्यू के ही खाता सं0 65/55 की कुल 3.7320है0 नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी में प्रार्थीगण के नाम 0.316है0 व चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 152/139 की कुल 0.253है0 नहरी प्रार्थीगण के नाम व चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 68/58 की कुल 3.2130 है0 में प्रार्थीगण के नाम 0.380है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

चक 6 जेजीडब्लयू के खाता सं0 117/109 के मु0न0 33, 44, 63 की कुल 1.6320 है0 नहरी खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की मद सं0 4 में वर्णित रिकार्ड के अनुसार अपनी कृषि भूमि के किला न0 17 की 0.065है0 भूमि में टयूबवैल लगा कर इसी चक की अपनी अन्य खातेदारी मु0न0 44 के किला न0 5 व मु0न0 63 के किला न0 3 में सिचाई करने हेतु अप्रार्थी सं0 1 के मु0न0 44 के किला न0 8 व मु0न0 63 के किला न0 3 में व अप्रार्थी सं0 3 के मु0 न0 44 के किला न0 17 व 24 जहां गै0मु0 रास्ता दर्ज है के नीचे से पाईप लाईन जमीन में लगभग 5 फिट गहरी खाई खोदकर प्लास्टीक पाईप लाईन डाली गई है। पाईप लाईन डालते समय अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने सहमती प्रदान की थी व किसी भी प्रकार का एतराज अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट नहीं किया गया। लेकिन बाद में अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त पाईप लाईन व कुआ से सिचांई के लिए कहा गया तो प्रार्थीगण द्वारा मना कर दिया गया। तब अप्रार्थीगण सं0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
(जिला-हनुमानगढ़)

से सिचांई के लिए कहा गया तो प्रार्थीगण द्वारा मना कर दिया गया। तब अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने पाईप लाईन को 3 जगह से काट दिया। इस प्रकार उक्त पाईप लाईन को बिना किसी बाधा के चालू रखने व जहां से लाईन काटी गई है उसकी मरम्मत व नियमित करने के लिए प्रार्थना पेश कर उक्त स्वीकृति लेने के प्रार्थीगण कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने जवाब पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 94/98 की कुल 3.74400है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खाला कृषि भूमि में प्रार्थीगण के नाम 30–1/4 हिस्सा व चक 6 जेजीडब्ल्यू के ही खाता सं0 65/55 की कुल 3.7320है0 नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी में प्रार्थीगण के नाम 0.316है0 व चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 152/139 की कुल 0.253है0 नहरी प्रार्थीगण के नाम व चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 68/58 की कुल 3.2130 है0 में प्रार्थीगण के नाम 0.380है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

चक 6 जेजीडब्लयू के खाता सं0 117/109 के मु0न0 33, 44, 63 की कुल 1.6320 है0 नहरी खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की मद सं0 4 में वर्णित रिकार्ड के अनुसार अपनी कृषि भूमि के किला न0 17 की 0.065है0 भूमि में टयूबवैल लगा कर इसी चक की अपनी अन्य खातेदारी मु0न0 44 के किला न0 5 व मु0न0 63 के किला न0 3 में सिचाई करने हेतु अप्रार्थी सं0 1 के मु0न0 44 के किला न0 8 व मु0न0 63 के किला न0 3 में व अप्रार्थी सं0 3 के मु0 न0 44 के किला न0 17 व 24 जहां गै0मु0 रास्ता दर्ज है के नीचे से पाईप लाईन जमीन में लगभग 5 फिट गहरी खाई खोदकर प्लास्टीक पाईप लाईन डाली गई है। पाईप लाईन डालते समय अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने सहमती प्रदान की थी व किसी भी प्रकार का एतराज अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट नहीं किया गया। लेकिन बाद में अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त पाईप लाईन व कुआं से सिचांई के लिए कहा गया तो प्रार्थीगण द्वारा मना कर दिया गया। तब अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने पाईप लाईन को 3 जगह से काट दिया। इस प्रकार उक्त पाईप लाईन को बिना किसी बाधा के चालू रखने व जहां से लाईन काटी गई है उसकी मरम्मत व नियमित करने के लिए प्रार्थना पेश कर उक्त स्वीकृति लेने के प्रार्थीगण कानूनी अधिकारी है। इस प्रकार प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पाईप लाईन को दुरूस्त कर नियमित किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब के कथन को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थीगण द्वारा जबरन अप्रार्थीगण के खेत में पाईप खोदकर उक्त पाईप लाईन डाली गई है इसमें अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार की सहमती पूर्व में नहीं दी गई है। प्रार्थीगण के कहे मुताबिक अगर पाईप लाईन डाल रखी है तो न्यायालय में प्रार्थीगण कोई कार्यवाही नही कर सकते , अप्रार्थीगण ने यदि पाईप लाईन काटी होती तो पुलिस थाना आदि में प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही करनी चाहिए थी। उक्त विवादित भूमि संयुक्त खाता की कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण अपना खाता व लगान अलग कायम करवाये बिना किसी भी प्रकार की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पादरा (जिला-हनुमानगढ़)

स्वीकृति लेने का प्रार्थीगण को कानूनी अधिकार नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 94/98 की कुल 3.74400है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खाला कृषि भूमि में प्रार्थीगण के नाम 30–1/4 हिस्सा व चक 6 जेजीडब्ल्यू के ही खाता सं0 65/55 की कुल 3.7320है0 नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी में प्रार्थीगण के नाम 0.316है0 व चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 152/139 की कुल 0.253है0 नहरी प्रार्थीगण के नाम व चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 68/58 की कुल 3.2130 है0 में प्रार्थीगण के नाम 0.380है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक 6 जेजीडब्लयू के खाता सं0 117/109 के मु0न0 33, 44, 63 की कुल 1.6320 है0 नहरी खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की मद सं0 4 में वर्णित रिकार्ड के अनुसार अपनी कृषि भूमि के किला न0 17 की 0.065है0 भूमि में टयूबवैल लगा कर इसी चक की अपनी अन्य खातेदारी मु0न0 44 के किला न0 5 व मु0न0 63 के किला न0 3 में सिचाई करने हेतु अप्रार्थी सं0 1 के मु0न0 44 के किला न0 8 व मु0न0 63 के किला न0 3 में व अप्रार्थी सं0 3 के मु0 न0 44 के किला न0 17 व 24 जहां गै0मु0 रास्ता दर्ज है के नीचे से पाईप लाईन जमीन में लगभग 5 फिट गहरी खाई खोदकर प्लास्टीक पाईप लाईन डाली गई है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदीयों का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त खाता की कृषि भूमि में टयूबवैल लगाकर पाईप लाईन डाली गई है। संयुक्त खातेदारों को प्रार्थीगण द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है, चूकिं मुश्तर्का खातेदारी में सभी सह खातेदारों का प्रत्येक किला, मुरब्बा व खसरा की प्रत्येक ईंच पर कब्जा माना जाता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त विवादित लगभग सभी खातों की कृषि भूमि अर्थात् जहां टयूबवैल है और जहां पाईप लाईन डाली गई है, संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अलग से खाता व लगान कायम नहीं करवाया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि के सहखातेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक था जो प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं है। इसी प्रकार तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पाईप लाईन तीन–चार जगह से क्षतिग्रस्त है और प्रार्थीगण द्वारा डाली गई पाईप लाईन संयुक्त कृषि भूमि में डाली गई है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट में किये गये प्रावधानानुसार प्रार्थीगण को पाईप डालने से पूर्व स्वीकृति लेनी होती है जिसमें ट्रेस नक्शा अनुसार जमीन में कम से कम 3 फिट की गहराई में पाईप लाईन डालने की स्वीकृति जारी की जा सकती है। उक्त पाईप लाईन क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत आदि करने में सहखातेदारों के हिस्सा में खड़ी फसल आदि के भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। इस प्रकार सम्पति के क्षतिग्रस्त होने की आशंका व सम्पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में अनुमति लेनी चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

उपखण्डाधिकारी (आर.ए.एस.)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार सयुक्त खाता की कृषि भूमि में सभी आवश्यक पक्षकार प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं होने तथा उक्त

विवादित संपति के रख–रखाव का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19/7/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
RAS
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़